REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	2155]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2011/कार्तिक 23, 1933
No.	2155]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2011/KARTIKA 23, 1933

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2011

का.आ. 2570(अ).---केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सेक्शन के, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भू-खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात :---

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सेक्शन	किलोमीटर में भू-खंड
(1)	(2)	(3)
6	छत्तीसगढ़ राज्य में उड़ीसा/छत्तीसगढ़	88.000 कि.मी. से
•	सीमा-औरंग	238.000 कि.मी. तक

[फा. सं. एनएच-14013/10/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

#### New Delhi, the 14th November, 2011

S.O. 2570(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, specified in column (3) of the Table, of the section specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

ational Highway No.	Section	Stretches in kilometers
(1)	(2)	(3)
6	From Orrisa/Chhattisgarh Border-Aurang in the State of Chhattisgarh	From km. 88.000 to km. 238.000

(1)

### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

#### [PART II-SEC. 3(11)]

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2011

का.आ. 2571(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :---

"5	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [307.600 कि.मी. से 405.000 कि.मी. तक (रायपुर-नागपुर	छत्तीसगढ्
	सेक्शन) और 88.000 कि.मी. से 281.000 कि.मी. (रायपुर-औरंग) को छोड़कर]	राज्य सरकार "।
	सं. 12क, सं. 16, सं. 43, सं. 78, सं. 111, सं. 200, सं. 202, सं. 216, सं. 217	· .
	और सं. 221 जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ।	

[फा. सं. एनएच-14013/10/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण.—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित को गई थी और सं. का.आ. 1792(अ), तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया।

#### NOTIFICATION

### New Delhi, the 14th November, 2011

S.O. 2571(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :---

" <u>5</u>	So much of National Highways No. 6 [excluding from	State Government of
	km, 307,600 to km, 405,000 (Raipur-Nagpur Section) and from	Chhattisgarh".
e tra i	km. 88.000 to km. 281.000 (Raipur Aurang)], No. 12A, No. 16,	
	No. 43, No. 78, No. 111, No. 200, No. 202, No. 216, No. 217 and	
	No. 221 as are situated within the State of Chhattisgarh.	

[F. No. NH-14013/10/2011-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote.—The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1792(E), dated the 3rd August, 2011.

2